

समाज के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी पत्रिका : कैलाशचंद महाराज

सिहोरा, नवभारत। सर्वोदय ब्राह्मण समाज सिहोरा के तत्वावधान में स्थानीय हरिओम कैफे में समाज का वार्षिक सम्मेलन सह पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ।

इस वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि कैलाशानंद महाराज (सेलवारा धाम) रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर नागेंद्र कुररिया, विष्णु दत्त गौतम, मिथलेश शुक्ला, सुबोध पाण्डेय, अंजनी गौतम एवं राजेश कुररिया (अध्यक्ष) की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ।

जयप्रकाश तिवारी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित

सम्मेलन के दौरान सर्वोदय ब्राह्मण समाज सिहोरा के अध्यक्ष पद पर जयप्रकाश तिवारी को निर्विरोध नियुक्त किया गया। इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करने में सुरेंद्र कुमार गौतम ने चुनाव निर्वाचन अधिकारी तथा सुरेंद्र



कुमार शुक्ला ने सहायक चुनाव निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रथम संस्करण का हुआ विमोचन
सर्वोदय ब्राह्मण समाज सिहोरा के प्रथम 3 वर्ष की उपलब्धियों को सजोने हेतु 'स्मारिका 2026' तैयार की गई। इस प्रथम संस्करण पत्रिका का विमोचन कैलाशानंद महाराज ने अपने करकमलों से किया। पत्रिका के महत्व पर

प्रकाश डालते हुए महाराज श्री ने कहा कि समाज की इस पत्रिका में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के समाज के उत्कृष्ट कार्यों के विषय में संदेश के साथ-साथ, सेलवारा धाम के परमहंस श्री प्रकाशवन अवधूत महाराज का जीवन परिचय, समाज गौरव, प्रेरक आलेख, कविताएं, समाज की स्मृति, फोटो और समाज के विवाह योग्य नव युवक-युवतियों के नाम आदि संकलित किए गए हैं। यह पत्रिका समाज के लिए अत्यंत पठनीय

और भविष्य में मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्वरूप सिद्ध होगी।

आजीवन सदस्यता सह प्रशस्ति पत्र वितरण
कार्यक्रम में समाज के स्थायी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में महाराज श्री द्वारा समाज के प्रबुद्ध जनों को आजीवन सदस्यता सह प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए, जिनमें मुख्य रूप से विश्वनाथ तिवारी, ओमप्रकाश तिवारी, रवि मिश्रा,

अमित कुररिया, अनूप पाठक, सुरेंद्र कुमार शुक्ला, विश्वजीत मिश्रा, रत्नेश मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा, सतीश तिवारी, विजय दुबे और धीरेंद्र पांडे शामिल हैं।

विप्र बंधुओं एवं मातृशक्ति की रही उपस्थिति

इस भव्य कार्यक्रम में समाज के विभिन्न विंग्स के पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में विप्र समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राखी तिवारी (अध्यक्ष महिला मण्डल), भावना गौतम, मीना कुररिया, आशुतोष परोहा (युवा मण्डल अध्यक्ष), बालमुकुंद चौबे, जगदीश प्यासी, नारायण मिश्रा, अर्जुन गर्ग, रमेश दत्त मिश्रा, जय प्रकाश तिवारी, दीपक दत्त दुबे, कीर्ति कुमार चौबे, शीतल दुबे, शिव कुमार गर्ग, अजय किशोर तिवारी, दिनेश उपाध्याय, जय शंकर गौतम, डब्लू पाठक,, डी. डी. दुबे, दीपक तिवारी, राम लखन तिवारी, जय शंकर गौतम, नवनीत शुक्ला, विजय दुबे सहित अन्य विप्र बंधु उपस्थित रहे।



गौशाला में किया गया नामकरण संस्कार

सिहोरा, नवभारत। गोसलपुर के समीप किवलारी वरन् तिराहा स्थित पौराणिक गो सेवालय मे सिद्ध बाबा वाई, जबलपुर निवासी डॉ. अनिमेष शुक्ला के प्रथम पुत्र का नामकरण संस्कार वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया।

इस अवसर पर गोशाला संचालक दिव्याकर्षण त्रिपाठी (बड़ा गुरुद्वारा बुढ़ागर) ने बताया की धर्मशास्त्रों के अनुसार राशि से संबंधित नाम का सामान्य उपयोग माता-पिता द्वारा नहीं किया जाना

चाहिए, शास्त्रों में वर्णित परंपरा के अनुसार नामकरण संस्कार के समय शिशु का नाम गोमाता के कान में उच्चरित किया जाता है जिससे संबंधित दोषों का निवारण माना गया है। उन्होंने कहा की डॉ. अनिमेष शुक्ला एवं उनके परिवार ने गोशाला में नामकरण संस्कार कराकर भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का सराहनीय प्रयास किया है। साथ ही अपने वंश के इस शुभ कार्य को गोमाता को समर्पित कर पुण्य अर्जित किया

तथा पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान परिवारजनों ने गोसेवा का संकल्प लिया तथा गोशाला में सेवित निराश्रित गोवंश के लिए सहयोग भी प्रदान किया। इस अवसर पर डॉ. नीलम मिश्रा, सत्यम शुक्ला सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे जहां सभी ने प्रसाद ग्रहण किया तथा इस पहल को भारतीय संस्कृति, गोसंरक्षण और सनातन परंपराओं के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक कदम बताया।

नागरिकों को समान अधिकार उपलब्ध कराना है, धार्मिक मान्यता में हस्तक्षेप करना नहीं

समान नागरिक संहिता पर जनपरामर्श बैठक, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न वर्गों के लोगों ने रखे विचार



जबलपुर। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की जनपरामर्श बैठक गुरुवार को भंवरताल गार्डन स्थित संस्कृति थिएटर में आयोजित की गई। बैठक में समिति के प्रमुख सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि देश में वर्तमान में दो दर्जन से अधिक ऐसे कानून हैं, जिनमें एक ही प्रकार के मामलों में अलग-अलग प्रावधान लागू होते हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार उपलब्ध कराना है, न कि किसी धर्म या धार्मिक मान्यता में हस्तक्षेप करना।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के दौरान समान नागरिक संहिता पर व्यापक बहस हुई थी। एक पक्ष का मानना था कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े हैं, इसलिए उनमें हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। वहीं दूसरे पक्ष का मत था कि सामाजिक सुधार, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनों में समय-समय पर बदलाव आवश्यक हैं। समिति के सदस्य सिंह ने कहा कि संविधान सभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और अन्य कई

सदस्यों ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपने विचार रखे थे। उनका मानना था कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए और कानूनों में एकरूपता राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक समरसता को मजबूत कर सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि अनेक देशों ने समय के साथ अपने पारिवारिक कानूनों में सुधार किए हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें आधुनिक बनाया है। समान नागरिक संहिता पर आज भी वही तर्क सामने आते हैं जो संविधान सभा की बहसों के दौरान रखे गए थे। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखते हैं, जबकि अन्य इसे समान अधिकार और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य किसी पर कोई विचार थोपना नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की राय जानना और उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करना है। सदस्य सिंह ने उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए पूछा कि क्या यूसीसी लागू होने से किसी के मौलिक अधिकारों

का हनन होगा। उन्होंने विवाह, विवाह विच्छेद और निकट संबंधियों में विवाह जैसे विषयों पर सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपने सुझाव रखे।

युवाओं से मत प्राप्त करना चाहिए : रोहानी

विधायक अशोक रोहानी ने कहा कि देश में युवाओं की आबादी 60 प्रतिशत है, समिति को सोशल मीडिया के माध्यम से भी समान नागरिक संहिता के संबंध में युवाओं से मत प्राप्त करना चाहिए।

ऑटिज्म जैसी समस्याएं बढ़ी : अभिलाष

विधायक डॉ अभिलाष पांडेय ने कहा कि विवाह की न्यूनतम आयु तो निर्धारित कर दी गई है, लेकिन ऑटिज्म जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में विवाह की उपयुक्त आयु और किन परिस्थितियों में विवाह नहीं होना

महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित हो : नीरज
विधायक नीरज सिंह ने कहा कि वर्तमान में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ रहा है और संबंध टूटने की स्थिति में महिलाओं को कानूनी अधिकार नहीं मिल पाते। ऐसे मामलों में महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

चाहिए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। नगर निगम अध्यक्ष रिकूज विज ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आजादी के बाद देश की जनसंख्या संरचना में बदलाव आया है और इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण के साथ विचार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को समाज में समानता और एकरूपता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

विवाह की उम्र बढ़े, पढ़ाई पूरी हो

जिला पंचायत अध्यक्ष आशा मुकेश गोठिया ने कहा कि विवाह की उम्र 18 की जगह 21 होना चाहिए, क्योंकि 18 तक बेटियां 12वीं तक ही पढ़ पाती हैं, विवाह की उम्र बढ़ने से उनकी कालेज तक की पढ़ाई पूरी हो सकेगी। ऐसे ही लड़कों की उम्र 24 तक की जा

सकती हैं, ताकि वे पढ़ लिखकर अपनी आजीविका का साधन बना सके। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन ने बेटियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का सुझाव दिया।

महिलाएं केवल नाममात्र की प्रतिनिधि : संजय

पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को अधिकार तो मिले हैं, लेकिन कई स्थानों पर पुरुष ही उनके स्थान पर हस्ताक्षर कर निर्णय लेते हैं, जबकि महिलाएं केवल नाममात्र की प्रतिनिधि बनकर रह जाती हैं। इसे रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए। जिला कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने यूसीसी का धार्मिक रीति-रिवाजों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करने की मांग की।

अवॉर्ड की चमक के पीछे छिपा बाघों की मौतों का काला सच

क्या 'टाइगर टूरिज्म' की अंधी दौड़ में कुबान हो रहा है बांधवगढ़ का प्रतियोगिता ?

नवभारत उमरिया 18 जून। गोवा के मंच पर पुरस्कारों की चमक है, तालियाँ हैं, सम्मान है और उपलब्धियों के दावे हैं, लेकिन उसी समय बांधवगढ़ के जंगलों में कई ऐसे सवाल गूँज रहे हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आखिर क्यों ?

लगातार बाघों की मौतों की खबरें सामने आ रही हैं ? क्यों मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है ? और क्यों संरक्षण की बजाय पर्यटन को प्राथमिकता मिलने के आरोप लग रहे हैं ? बांधवगढ़, जिसे कभी बाघों का सुरक्षित घर कहा जाता था, आज आलोचकों के निशाने पर है। जंगल प्रेमियों का आरोप है कि यहां संरक्षण से ज्यादा फोकस पर्यटन कारोबार पर दिखाई देता है। बाघों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक व्यवहार और जंगल की शांति की कीमत पर क्या पर्यटन का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है।

जंगल या तमाशाघर

सफारी मार्गों पर दौड़ती जलियाँ, बाघों की एक झलक पाने की होड़ और वायरल वीडियो बनाने की प्रतिस्पर्धा ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप वन्यजीवों के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके बावजूद क्या बांधवगढ़ में नियमों का

पालन उतनी सख्ती से हो रहा है, जितना कागजों में दिखाया जाता है ?

मौतों का सिलसिला और जवाबदेही का सवाल

बाघों की मौतों की घटनाओं ने संरक्षण व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर घटना के बाद जांच, रिपोर्ट और कार्रवाई के दावे सामने आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए ? यदि नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी।

अवॉर्ड बनाम हकीकत

एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के सम्मान और उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जंगल से जुड़े कई मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि संरक्षण की बुनियादी चुनौतियाँ बरकरार हैं, तो केवल पुरस्कारों से वास्तविक तस्वीर नहीं बदल सकती।

बांधवगढ़ का सबसे बड़ा सवाल

बांधवगढ़ की पहचान उसके बाघ, जंगल और जैव विविधता हैं। यदि इन्हीं पर दबाव बढ़ता गया तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गहरा सकता है। अब जरूरत केवल सम्मान समारोहों की नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब की है जो जंगल, बाघ और स्थानीय समुदाय लगातार पूछ रहे हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है-जब संरक्षण कमजोर पड़ता है, तो जंगल पहले खोमोश होते हैं और फिर उजड़ जाते हैं।

परेशानी बारिश में बदहाल हुई नर्मदा गंज की सड़कें, नगर परिषद से तत्काल कार्रवाई की मांग

सीवर लाइन के बाद अधूरा रेस्टोरेशन बना मुसीबत



डिंडोरी, नवभारत 18 जून। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 09 नर्मदा गंज में सीवर लाइन परियोजना के बाद अधूरा छोड़ दिया गया रेस्टोरेशन कार्य अब स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।

बारिश शुरू होते ही उखड़ी हुई सड़कों, जगह-जगह बने गड्ढे, कीचड़ और जलभराव ने वार्डवासियों को परेशानी की और भी बढ़ा दिया है। स्थिति यह है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया

है, जबकि स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को रोजाना जोखिम उठाकर आवागमन करना पड़ रहा है।

दुर्घटनाओं का बढ़ा खतरा

जानकारी के अनुसार सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों के नियमानुसार पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना था, लेकिन कई स्थानों पर रेस्टोरेशन कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप पहली ही बारिश

उफनते नाले और सड़कों पर फैल रहा गंदा पानी

बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था की खामियाँ भी उजागर हो गई हैं। वार्ड के कई हिस्सों में नालियाँ और नाले जरा सी बारिश होते ही उफान मारने लगते हैं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा होता है। इससे न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा है बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। रहवासियों का कहना है कि यदि समय रहते नालियों की सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

में सड़कें उखड़ गईं और गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण

एजेंसी और जिम्मेदार विभाग की लापरवाही का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

अनाधिकृत स्पीड ब्रेकर बन रहे दुर्घटना का कारण

वार्ड में कई स्थानों पर बिना मानक और चेतावनी संकेतक के बनाए गए स्पीड ब्रेकर भी वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। विशेषकर रात के समय इन स्पीड ब्रेकरों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने इन्हें तत्काल हटाने अथवा नियमानुसार व्यवस्थित करने की मांग की है।

इनका कहना है

सीवर लाइन परियोजना के बाद सड़कों का गुणवत्तापूर्ण रेस्टोरेशन, नाली व्यवस्था और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है। वार्ड क्रमांक 9 में अपूर्ये कार्यों और अव्यवस्थाएं चिंता का विषय हैं। जनता को हो रही परेशानियों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

सत्यक जैन, अधिवक्ता

ग्रामीणों ने कहा- सड़क निर्माण में फर्जी बिलों से राशि का आहरण किया गया

अमरपुर नवभारत 18 जून। जनपद पंचायत अमरपुर की ग्राम पंचायत मौहारी जोकि वर्षों से सिर्फ अनियमितताओं के लिए ही जाना जाता हैं, ऐसे आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा एक वर्ष पूर्व वनक्षेत्र बीजा में एक तालाब निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जोकि लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक पूर्ण नहीं हो सके। निर्माण रिजर्व फरिस्ट में किया गया हैं, जहां कुछ सरई के पेड़ भी काटे गए हैं, जोकि बतौर सबूत आज भी निर्माणाधीन तालाब के अंदर आसानी से देखे जा सकते हैं।

निर्माण स्थल पर सूचना पटल नहीं लगाया गया-उक्त तालाब किस मद से और कितनी लागत से बन रहा हैं, इसकी जानकारी नहीं हो सकी, क्योंकि निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का सूचना पटल नहीं लगाया गया हैं। जब ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे



तो वहां पर ताला बंद मिला। इसी प्रकार मौहारी बड़े टोला में एक सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण स्वीकृत कर जनवरी माह में फर्जी बिल के माध्यम से 94400 रुपयों का आहरण कर लिया गया है, यह आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं।
जांच की गई तो पोल खुल जाएगी-बताया गया कि बिल में रेत, गिट्टी एवं सीमेंट क्रय करना दाखला गया हैं, परंतु कार्यस्थल पर दो ट्राली गिट्टी एवं एक ट्रॉली रेत खरीदी की गई। यह जानकारी पंचायत के सूत्रों द्वारा दी गई हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप हैं कि इस ग्राम पंचायत की सुक्ष्मता से दोनो पंचवर्षीय की जांच की जाए तो ऐसे कई निर्माण कार्य फाइल में तो आसानी से मिल जाएंगे, परंतु गांव और कार्य स्थल

पर कुछ भी नहीं हैं।
लेनदेन की बात सोशल मीडिया में वायरल-पूर्व में सरपंच एवं उपयंत्री की लेनदेन संबंधी मोबाइल पर की गई बात सोशल मीडिया में भी वायरल हई थी। यह जानकारी भी सूत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने के चलते इनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं। वित्तीय अनियमितताओं से जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी भी अनभिज्ञ नहीं हैं।

इनका कहना है
तालाब निर्माण कार्य एक वर्ष पूर्व का हैं। मैं स्थानांतरित होकर कुछ माह पूर्व ही आया हूं।
वंशपाल, उपयंत्री